आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर P.N-28- 28.02.2020	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।
बन्दोवस्तती अपील वाद सं0–21/2015–16

श्री विश्वनाथ राम वैगरह– अपीलार्थी
बनाम
श्री लक्ष्मण दुसाध– विपक्षी
आदेश

15.2.2020 यह अपील अपीलार्थी श्री विश्वनाथ राम वो असर्फी राम पिता स्व0 रामवृक्ष दुसाध ग्राम केतार टोला गड़ेरियाडीह थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा के द्वारा बन्दोवस्ती बाद सं0–23/1991–92 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है इस वाद से सबंधित भूमि ग्राम केतार के खाता सं0–121 प्लॉट सं0–1303/658 रकबा 0.60 एकड़ एवं प्लॉट सं0–1114/684 रकबा 0.32 एकड़ कुल रकबा 0.92 एकड़ से सबंधित है।

विपक्षी नोटिश प्राप्ति के पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल किया गया। मामले पर दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस विस्तार से सुना गया। तथा मूल बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का संक्षेप में कथन है कि ग्राम केतार के खाता सं0–121 प्लॉट सं0–684 रकबा 1.68 एकड़ एवं प्लॉट सं0–658 रकबा 0.38 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज है। उक्त भूमि को अपीलार्थी के पिता रामवृक्ष दुसाध द्वारा जोत कोड़ कर खेती लायक बनाए और उसका उपयोग करने लगें और उस गाँव के जमीनदार द्वारा उक्त जमीन को रामवृक्ष दुसाध को बन्दोवस्ती कर दिये और उक्त जमीन पर दखल कब्जा में रह कर जमीनदारी रसीद प्राप्त करते रहे।

अपीलर्थी का यह भी कहना है कि उपर्युक्त भूमि से विपक्षी को कोई संबंध सरोकार नहीं उक्त जमीन पर अपीलार्थी का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी ग्राम केतार थाना भवनाथपुर के देही रैयति भी नहीं है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 के द्वारा विपक्षी लक्ष्मण दुसाध पिता स्व0 सुखदेव दुसाध ग्राम केतार थाना भवनाथपुर के ग्राम केतार के खाता सं0–121 प्लॉट सं0–1303/658 रकबा 0.60 एकड़ एवं प्लॉट सं0–1114/684 रकबा 0.32 एकड़ कुल रकबा 0.92 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती गलत ढ़ंग से की गई है। यह भूमि मेरे दखल कब्जे के भूमि है। विपक्षी द्वारा अंचल कार्यलय को मेल में लाकर गलत ढ़ंग से मेरे दखल कब्जे वाले भूमि को बन्दोवस्ती करा लिए हैं जो बिलकुल ही गलत है।

अपीलार्थी का अंत में अनुरोध है की बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 के द्वारा जो विपक्षी के नाम से बन्दोवस्ती की गई है। उसे रद्द किया जाए।

विपक्षी का संक्षेप में कहना है कि ग्राम केतार के खाता सं0–121 प्लॉट सं0–658 के रकबा 28.50 एकड़ एवं प्लॉट सं0–684 के रकबा 84.20 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज है। उक्त भूमि में से विपक्षी लक्ष्मण दुसाध पिता स्व0 सुखदेव दुसाध ग्राम केतार थाना भवनाथपुर को खाता सं0–121 प्लॉट सं0–658 में 0.60 एकड़ एवं प्लॉट सं0–684 में 0.32 एकड़ भूमि कुल रकबा 0.92 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा दिनांक 25.10.1991 को स्थल जाँच कर विपक्षी का दखल कब्जा पाते हुए भूमि की बन्दोवस्ती सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बन्दोवस्ती की गई है।

उक्त भूमि पर विपक्षीगण का जाँच के क्रम में मकान भी अंचल अधिकारी द्वारा पाया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है की उक्त भूमि पर वर्षो से घर बनाकर सबपरिवार के साथ रहते आ रहें हैं।

विपक्षी का यह भी कहना है कि उक्त भूमि की बन्दोवस्ती विधिवत प्रक्रिया के तहत सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जाँच पड़ताल कर के की गई है जो सभी दृष्टीकोण से नियमानुसार उचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कि आवश्यकता नहीं है। इनका अंत में अनुरोध है की बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाए।

मामले पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 के अवलोकन से स्पष्ट होता है की ग्राम केतार के खाता सं0–121 प्लॉट सं0–658 रकबा 28.50 एकड एवं प्लॉट सं0–684 रकबा 84.20 एकड सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज है जिसमें से विपक्षी को खाता सं0–121 प्लॉट सं0–658 में रकबा 0.60 एकड एवं प्लॉट सं0–684 में रकबा 0.32 एकड़ भूमि कि बन्दोवस्ती सक्षम पदाधिकारी के आदेश के द्वारा बन्दोवस्ती की स्वीकृति दी गई है। उक्त भूमि विपक्षी को बन्दोवस्ती के तिथि के पूर्व से दखल कब्जा में रहते आ रहे हैं। उक्त भूमि की बन्दोवस्ती विपक्षी को विहित प्रक्रिया अपनाते हुए बन्दोवस्ती की कार्रवाई की गई है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथों के आधार पर विपक्षी के नाम पर बन्दोवस्ती वाद सं0–23/1991–92 के द्वारा की गई बन्दोवस्ती को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

15/12

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

15/12/2020

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा